




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स : 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 25/4-2021 PS (1)

DATED, PANCHKULA THE 26.08.2021

The Managing Committee of **Sharda Public School, Duserpur, Guhla, Kaithal** is hereby approved with the following members:-

Priority	Member Name (Sh./Smt.)	Designation
1	Dr. Roshan Lal Sharma	Manager
2	Satvender	Secretary
3	Parul Rana	Teachers Representative
4	Seema Malik	Teachers Representative
5	Radha Rana	Parents Representative
6	Narinder Kaur	Parents Representative
7	Anita Malik	Educationist
8	Inder Sen Yadav	Advisor
9	Kusam Lata	Other Member
10	Jodhveer Singh	Other Member
11	Deepu Rani	Female Member
12	Gurpreet Singh	Male Member

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. even

Dated, Panchkula the 11/10/21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Kaithal**.
2. District Elementary Education Officer, **Kaithal**.
3. Manager, **Roshan Education Society, Ward No. 14, Near Goel Solvent, Guhla Road, Kaithal**.
4. Principal, **Sharda Public School, Duserpur, Guhla, Kaithal**.
5. I.T. Cell (HQ)
6. Office Record Copy.

SUPERINTENDENT PS
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 15/5-2021 PS (1)

DATED, PANCHKULA THE 27.09.2021

The Managing Committee of J.P. Senior Secondary School, Sukhdasspur Road, Saraswati Nagar, Yamunanagar is hereby approved with the following members:-

Sr. No.	Member Name (Sh./Smt.)	Designation
1	Jaipal	President
2	Ginni	Manager
3	Vijender Kumar	Principal(cum-ex-officio member)
4	Aman Kumar	Cashier
5	Satpal Gohri	Educationist
6	Dharamvir Singh	Member
7	Indu Kapoor	Female Member
8	Jyoti	Teacher Representative
9	Surinder Kumar	Parents Representative

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. even

Dated, Panchkula the 08-10-2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- District Education Officer, Yamunanagar.
- District Elementary Education Officer, Yamunanagar.
- Manager, Jai Sachidanand Educational Society, Saraswati Nagar (Mustababad), Dist. Yamuna Nagar.
- Principal, J.P. Senior Secondary School, Sukhdasspur Road, Saraswati Nagar, Yamuna Nagar.
- I.T. Cell (HQ)
- Office Record Copy.


SUPERINTENDENT PS
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Ladain [3077], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 04-10-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु अलाटमेंट राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	अलाटमेंट राशि
1 GMSSSS Ladain [3077], Jhajjar	Flooring in rooms with verandah and white wash	1874000.00
	कुल राशि	1874000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 8-10-21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर
- 4 उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Mokhra [2724], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 04-10-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS-Mokhra [2724]	Construction/repair of urinals and toilets	1500000.00
कुल राशि		1500000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला: 08-10-21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

11/10/21
Awdhish

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला